रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 516] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 29, 1975 पौष 8, 1897

No. 516] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 29, 1975/PAUSA 8, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December 1975

S.O. 737(E).—Whereas the Government of Kerala have intimated a few alterations in the names and extent of territorial divisions in the State and inadvertent slip or omission in the description of certain assembly constituencies mentioned in Table B of the Delimitation Commission's Order No. 18 of 27 July, 1974, in respect of the State of Kerala;

And whereas the Commission considers it necessary and expedient to make amendments in the description of those constituencies and correct the errors arising from inadvertent slip or omission so as to bring the Order correct and uptodate;

Now therefore in exercise of the powers conferred by section 11 of the Delimitation Act, 1972, the Election Commission hereby makes the corrections in the said Order as follows:—

I. In Table B—Assembly Constituencies—

(i) Under column 2, against 7-Payyannur, in the description of the extent of the constituency, *for* the existing entry, the entry "Ramanthali, Payyannur, and Eramam-Kuttoor panchayats in Taliparamba taluk; and Ezhome, Kadannapally-Panapuzha, Kunhimangalam, Cheruthazham and Madayi panchayats in Cannanore taluk", shall be *substituted;*

(ii) Under column 2, against 28-Thiruvambadi, in the description of the extent of the constituency between the words "Kodiyathur" and "Kooderanhi" the words "Karassery," shall be *inserted;*

(iii) Under column 2, against 50-Chittur, in the description of the extent of the constituency, *for* the words "Chittur Municipality", the words "Chittur Tattamangalam Municipality", shall be *substituted;*

(iv) Under column 2, against 72-Ernakulam, 73-Mattancherry, 74-Palluruthy and 75-Trippunithura, in the description of the extent of the constituencies, *for* the word "Words", the word "Divisions" shall be *substituted;* and

(v) Under column 2, against 131-Ariyanad, in the description of the extent of the constituency, *for* the existing entry, the entry "Ariyanad, Poovachal, Vithura, Tholicode, Uzhamalakkl and Kuttichal panchayats in Nedumangad taluk; and Kattakada panchayat in Neyyattinkara taluk", shall be *substituted;*

II. In Note at the end of the Order, *for* the words and figures "1st day of July, 1974" the words and figures "1st dav of August, 1975", shall be *substituted.*

[No. 282/1/KL/75]

By Order,
V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1975

का० आ० 737 (अ).—केरल राज्य सरकार ने, केरल राज्य के प्रादेशिक खंडों के नामों और विस्तार में कुछ परिवर्तन और उस राज्य के संबंध में परिसीमन आयोग के तारीख 27 जुलाई, 1974 के आदेश सं० 18 की सारणी ख में वर्णित कतिपय सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के वर्णन में अनवधानता से हुई भूल या चूक संसूचित की है ;

और, निर्वाचन आयोग उन निर्वाचन-क्षेत्रों के वर्णन में कुछ संशोधन करना तथा उक्त आदेश को ठीक और उद्यतन करने के लिए अनवधानता से हुई भूल या चूक के परिणामित गलतियों को ठीक करना, आवश्यक और समीचीन समझता है ;

अत :, अब, परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग उक्त आदेश में निम्नलिखित के अनुसार संशोधन करता है :—

I. सारणी ख—सभा निर्वाचन-क्षेत्र में—

(i) स्तम्भ 2 के नीचे, 7—पय्यानुर के सामने, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, "तालीपरम्बा तालुक में रामनयाली, पय्यानुर और एरामम-कुट्टूर पंचायतें; और कन्नानोर तालुक में एजोम, कादनापल्ली-पानापुझा, कुन्हीमंगलम, चेरुथाजाम और मदायी पंचायतें ", प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) स्तंभ 2 के नीचे, 28—थीरुवामवादी के सामने, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में, "कोडीयाथुर" और "कोडेरानट्टी" शब्दों के बीच में "कारासेरी" शब्द जोड़ दिया जाएगा ;

(iii) स्तम्भ 2 के नीचे, 50-चित्तुर के सामने, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में, "चित्तुर नगरपालिका" शब्दों के स्थान पर, "चित्तुर टाटामंगलम नगरपालिका" शब्द रखे जाएंगे;

(iV) स्तम्भ 2 के नीचे, 72-एरनाकुलम, 73-मट्टनचेरी, 74-पल्लुरुथी और 75-त्रिपुनीथुरा के सामने, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में, "वार्ड" शब्द के स्थान पर "डिवीजन" शब्द रखा जाएगा ;

(V) स्तम्भ 2 के नीचे, 131-अरियानाड के सामने, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, नेडूमानागाड तालुक में "अरियानाड, पूवाचल, वियुरा, थोलीकोड़े, उझामालाक्कल और कुट्टीचाल पंचायतें; और नेय्याटिनकारा तालुक में काट्टाकाड़ा पंचायत।" प्रविष्टि रखी जाएगी;

II. आदेश के अंत में, टिप्पणी में, "1974 की जुलाई के प्रथम दिन," शब्दों और अंकों के स्थान पर, "1975 के अगस्त मास के प्रथम दिन" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[सं० 282/1/केरल/75]

आदेश से,

बी०नागसुब्रमण्यन, सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975